

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/24/2347

दिनांक: 26/07/2024

शुद्धि-आदेश

विभागीय आदेश दिनांक 18.07.2024 द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1) (i) (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती पूनम शर्मा पार्षद वार्ड सं. 51 को सभापति नगर परिषद करौली के पद का कार्यभार 60 दिवस से अनधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिये दिया गया है। उक्त आदेश में श्रीमती रशीदा खातून को सदस्य व सभापति नगर परिषद करौली के पद से निलम्बन की तिथि सहबन से 16.07.2024 टंकित हो गयी थी, जो कि 15.07.2024 है।

अतः उक्त तिथि को 15.07.2024 पढ़ा जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुरेश कुमार ओला)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: 26/07/2024

क्रमांक: प.8 (ड)(का.आ.)/डीएलबी/23/2348-2358

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर/जिला कलक्टर करौली।
5. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज0 जयपुर।
7. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर।
8. उपखण्ड अधिकारी, करौली।
9. आयुक्त नगर परिषद करौली।
10. प्रोग्रामर (आई.टी. सैल), निदेशालय।
11. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

RajKaj Ref
9152366

Document certified by SURESH KUMAR
OLA <sureshola5788@gmail.com>

Digitally Signed by Suresh
Kumar OLA
Designation: Director
Date: 23-07-2024 04:33:20